भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2711

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एटीएम कार्ड पर दुर्घटना बीमा

2711. श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों द्वारा जारी एटीएम कार्डों पर दुर्घटना बीमा प्रदान करने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मध्य प्रदेश में एटीएम कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश में एटीएम कार्ड दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किए गए दावों के निपटान की कुल संख्या कितनी है तथा दावाकर्ताओं की संख्या कितनी है तथा उनकी राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त एटीएम कार्ड दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दावों के निपटान को बढ़ावा देने तथा इसमें तेजी लाने के लिए कोई कार्रवाई करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.) क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड- निर्गम और संव्यवहार संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 21 अप्रैल, 2022(07 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार अद्यतन) के मास्टर निदेश के अनुसार, डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर बीमा कवर के लिए कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। कार्ड जारीकर्ता या कार्ड भुगतान नेटवर्क कार्डधारक की सहमति से निःशुल्क या प्रभार्य रूप में बीमा कवर प्रदान कर सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, रुपे कार्ड धारकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया है (दिनांक 28.8.2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए पूर्ववर्ती 1 लाख रुपये से बढ़ाया गया) । दुर्घटना बीमा का लाभ उन रुपे कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने दुर्घटना की तारीख सहित दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिनों के भीतर कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया है। मध्य प्रदेश में दिनांक 26.02.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत जारी किए गए रुपे कार्डों की कुल संख्या 3,34,97,859 है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यह अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में पीएमजेडीवाई के तहत रुपे कार्ड धारकों के लिए आकस्मिक मृत्यु/दिव्यांगता के कुल 24 दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 29 लाख रुपये की राशि वाले 18 दावों का निपटान किया जा चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अवगत कराया है कि वर्ष 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अलावा, बैंकों, एनपीसीआई और अन्य हितधारकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना के दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें। दावा(दावों) को दर्ज करने के लिए, दुर्घटना की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। दावा संबंधी दस्तावेज दावा सूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तत्पश्चात दावों को बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित पूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने की तारीख से दस कार्य दिवसों में निपटाया जाना है।

*****